भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2888
बुधवार, 18 मार्च, 2026 (27) फाल्गुन 1947 (शक)) को उत्तरार्थ

दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना

2888 डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री नरहरी अमीनः
श्री शंभू शरण पटेलः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना (डीकेपीएसवाई) योजना के अंतर्गत प्रस्तावों का आकलन करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा अपनाए गए पात्रता और मूल्यांकन के मापदंड क्या-क्या हैं;

(ख) दीर्घकालीन वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने से पूर्व तकनीकी व्यवहार्यता और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनसीडीसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है;

(ग) निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया निगरानी तंत्र क्या है;

(घ) ऋण का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में कौन सी वसूली प्रक्रियाएँ और विधिक सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं;

(ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई है; और

(च) क्या इस योजना ने कृषि सहकारी ऋण समितियों को सुदृढ़ करने और सहकारी क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्धता को बढ़ाने में योगदान दिया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन में कार्यरत एक सांविधिक संगठन है, ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पूंजी निर्माण के लिए बढ़ी हुई और निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 'दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना' लॉन्च की है । 'दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना' के अधीन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए पात्रता शर्तें और मूल्यांकन मानदंड निम्नानुसार हैं:-

i. सहकारी समिति को न्यूनतम 3 वर्ष प्रचालनरत होना चाहिए ।

ii. सहकारी समिति की निवल परिसंपत्ति (नेट-वर्थ) सकारात्मक होनी चाहिए, 100% चुकता शेयर पूंजी से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात् चुकता शेयर पूंजी में कोई क्षरण नहीं होना चाहिए ।

iii. सहकारी समिति को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नकद हानि नहीं होनी चाहिए और पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में उसे शुद्ध लाभ होना चाहिए ।

(ख) एनसीडीसी सहकारी समिति के वित्तीय स्वास्थ्य, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन एवं और सम्यक तत्परता की अपने मानक प्रथाओं को अपनाते हुए पर्याप्त सुरक्षा के आधार पर किसी परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत करता है ।

(ग) एनसीडीसी अपने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और 9 उप-कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की सक्रियतापूर्वक निगरानी करता है और सहकारी समितियों को समयबद्ध ऋण प्रवाह तक पहुंच सुनिश्चित करता है । इस योजना के अधीन संवितरित ऋण की उचित निगरानी के लिए समय-समय पर फील्ड दौरे/ निरीक्षण किए जाते हैं ।

(घ) ऋण चूक की स्थिति में, एनसीडीसी विभिन्न उपायों के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया शुरू करता है, जैसे कि:

- प्रतिभूतियों का प्रवर्तन, जैसे कि उत्तर-दिनांकित चेक ।
- ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के समक्ष वसूली आवेदन दाखिल करना ।
- सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रवर्तन।

(ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त योजना के अधीन स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्योरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
2022-23	400.00	0.00
2023-24	0.00	60.00
2024-25	5000.76	2077.00
कुल	**5400.76**	**2137.00**

(च) और (छ) "दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना" ने कृषि ऋण सहकारी समितियों को आगे ऋण देने के लिए उनके संसाधनों के साथ दीर्घकालिक वित्तीय सहायता को पूरक करके सशक्त किया है । इसने बढ़ी हुई और निर्बाध ऋण प्रवाह सक्षम किया है, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया है और गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों में विविधीकरण का समर्थन किया है । कुल मिलाकर इस योजना ने संस्थागत क्षमता में वृद्धि की है, पहुंच को व्यापक बनाया है और संधारणीय दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने एवं ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारी क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया है ।
